द्वारा स्पीड पोस्ट/ई–मेल

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

सी–7(ए) सुल्तान हाउस सवाई जयसिंह हाईवे बनीपार्क जयपुर –302016
Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-2973804
Email-id pmcrajasthangov.in@gmail.com, Contact: 0141-4004914

क्रमांकः पं.6/पैरामेडि.कौं/डिग्री/मान्यता/2023/ 558 दिनांक : 23/08/23

Registrar/Principal
Nirwan University
Near Bassi-Rajadhok Toll, Agra Road
Jaipur, Rajasthan 303305

विषय :– पैरामेडिकल डिग्री कोर्स संचालित करने की मान्यता बाबत्।
संदर्भ :– आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 27.07.2023 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल संशोधित विनियम 2023 जारी होने की दिनांक 20 फरवरी 2023 से रेग्यूलेशन 42 के परन्तुक में राजस्थान राज्य के अधिनियम से गठित विश्वविद्यालयों को 6 माह की अवधि में राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल से मान्यता लिये जाने का प्रावधान है। उक्त प्रावधानो के तहत Nirwan University Near Bassi-Rajadhok Toll, Agra Road Jaipur के आवेदन पत्र के क्रम में कराये गये निरीक्षण व स्क्रूटनी कमेटी के अनुरूप Nirwan University Near Bassi-Rajadhok Toll, Agra Road Jaipur को बैचलर इन मेडिकल लेबोरेट्री टैक्नोलोजी, बैचलर इन रेडिऐशन टैक्नोलोजी, बैचलर इन ऑपरेशन थियेटर टैक्नोलोजी पैरामेडिकल कोर्स संचालन हेतु निरीक्षणोपरान्त शैक्षणिक सत्र 2023–2024 से निम्न कोर्स संचालित करने की अस्थाई मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है :–

Serial No.	Course Name	Seats
1	Bachelor in Medical Laboratory Technology.	50
2	Bachelor in Radiation Technology	50
3	Bachelor in Operation Theater Technology.	50

यह अस्थाई मान्यता राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल एक्ट 2008 की धारा 13 (ठ) एवं 28 के तहत निम्न शर्तो के अध्यधीन दी गई है :–

1. विश्वविद्यालय को डिग्री कोर्स में छात्रो के प्रवेश हेतु राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा जारी निर्देशो की अनुपालना करनी होगी।
2. राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा विश्वविद्यालय का निरीक्षण किसी भी समय पर करवाया जा सकता है और विश्वविद्यालय द्वारा नियमों/विनियमों/निर्देशों का उल्लंघन करना पाया गया तो विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों की मान्यता तुरन्त प्रभाव से समाप्त की जा सकती है।
3. विश्वविद्यालय को आरपीएमसी के नियम–विनियमो/निर्देशो के अनुरूप प्रवेश तथा अन्य कार्यवाही संपन्न कर परिषद द्वारा जारी पाठ्यक्रम अनुसार शिक्षण करवाना होगा। पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय को परिषद द्वारा जारी आदेश के 30 दिवस के भीतर छात्रो के प्रवेश किए जा सकेगें।
4. आरपीएमसी के नियम–विनियम अनुरूप निर्धारित संख्या द्वारा महाविद्यालय में उपयुक्त/योग्य शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सत्र प्रारंभ होने के पूर्व की जाना आवश्यक होगा तथा परिषद को शीघ्र सूचित किया जाएगा।
5. राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल की ओर से समय–समय पर किए जाने वाले सामान्य एवं आकस्मिक निरीक्षण के दौरान विश्वविद्यालय को आवश्यक सहयोग प्रदान करना होगा एवं विश्वविद्यालय द्वारा आवेदन पत्र एवं उसके उपरान्त उपलब्ध कराई गई सूचनाओ/जानकारी में यदि असत्यता पाई जाती है, तो विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों की मान्यता निरस्तीकरण के संबंध में एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।

निरन्तर..............

6. विश्वविद्यालय को उपरोक्त समस्त सह–चिकित्सीय पाठ्यक्रमो में प्रवेशित छात्रो की विषयवार सूची (छात्र का नाम, पिता/पति का नाम, शैक्षणिक अर्हता, प्रवेशित पाठ्यक्रम का नाम, प्रवेश क्रमांक एवं दिनांक, जन्मतिथि, निवास का पता इत्यादि) प्रवेश के लिये निर्धारित अंतिम तिथि, के 15 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से ऑनलाईन/ऑफलाईन के माध्यम से राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल कार्यालय में जमा करानी होगी। 15 दिवस के पश्चात आगामी 07 दिवस तक परिषद में प्रतिदिन प्रति छात्र एक हजार का विलंब शुल्क मय सूची प्रेषित की जा सकेगी इसके उपरान्त प्रेषित की गई सूची में वर्णित छात्रो के प्रवेश अनियमित माना जायेगा तथा छात्रो के पंजीयन की कार्यवाही नहीं की जायेगी जिसके लिये विश्वविद्यालय स्वयं जिम्मेदार होगी।

7. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय को राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल और विश्वविद्यालय के संयुक्त नाम की कुल राशि 4,50,000/– रुपये की स्थाई बैंक जमा रसीद (FD) राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल में दिनांक 05.09.2023 तक जमा करानी होगी।

8. निर्धारित समयावधि में सुरक्षा निधि स्वरूप राशि जमा कराये जाने की सत्यापन प्रमाण–पत्र राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा

9. राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा चाही गई सूचनाऐं विश्वविद्यालय द्वारा समय पर उपलब्ध कराई जाएगी। राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा, तथा विश्वविद्यालय द्वारा अपने विश्वविद्यालय के संबंध में भवन (Infrastructute) तथा संबद्ध अस्पताल/लैबोरेटरी एवं शैक्षणिक स्टाफ के परिवर्तन की पूर्व अनुमति कौंसिल से लेना अनिवार्य होगा।

10. विश्वविद्यालय द्वारा अपने विश्वविद्यालय के संबंध में भवन (Infrastructute) तथा संबद्ध अस्पताल/लैबोरेटरी के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज व शैक्षणिक भवन तथा अस्पताल/लैबोरेटरी में उपलब्ध संसाधनों व गतिविधियों (Equipments/Facilities, Noc from Concerned Departments, Number of Various Tests Conducted etc.) शैक्षणिक स्टाफ आदि के संबंध में समस्त रिकॉर्ड 15 दिवस की अवधि में कौंसिल को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

11. राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल अधिनियम 2008, विनियम 2014, 2015 व (संशोधित) विनियम 2023 में उल्लेखित प्रावधानो के परिपेक्ष्य में विश्वविद्यालय में पूरे किए जाने वाले पाठ्यक्रम ओर दी जाने वाली परीक्षा अथवा उसके द्वारा ली गई परीक्षा में अभ्यर्थियो से अपेक्षित प्रवीणता या विश्वविद्यालय में कर्मचारीवृन्द उपस्कर, वास–सुविधा प्रशिक्षण तथा उसमें दिये जाने वाले शिक्षण और प्रशिक्षण की अन्य सुविधाऐ राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा विहित स्तरों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर विश्वविद्यालय को पैरामेडिकल कोर्स संचालन बाबत् दी गई मान्यता किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी।

12. विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता शुल्क के रूप में राशि 7,92,000/- रूपये नियमानुसार कौंसिल में दिनांक 05.09.2023 तक जमा करवाया जाना अनिवार्य है।

(कैलाश नारायण मीना)
R.A.S.
रजिस्ट्रार

क्रमांकः प.6/पैरामेडि.कौ/डिग्री/मान्यता/2023/ 558

दिनांक : 23/08/23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. अध्यक्ष, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर।
4. निदेशक (जन स्वास्थ्य,) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
5. कुलसचिव राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (RUHS) जयपुर।
6. परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
7. रजिस्ट्रार, निर्वाण विश्वविद्यालय, आगरा रोड जयपुर।
8. काउन्संलिंग, पंजीयन, लेखा, विधि, संस्थापन शाखा, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
9. प्रभारी सर्वर रूम, कार्यालय हाजा।
10. रक्षित पत्रावली।

रजिस्ट्रार